

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 429/2007/जयपुर

मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि०,
ज्योति नगर, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

1. उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय
वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर।
2. सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर विभाग,
विशेष वृत्त-राजस्थान, जयपुर।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ

श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 22.08.2016

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 152/अपील्स-II/आरएसटी/जयपुर/वि.वृ.राज./05-06 में पारित आदेश दिनांक 31.01.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, विशेष वृत्त-राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 30 के अन्तर्गत पारित आदेश वर्ष 1999-2000 दिनांक 30.03.2005 के जरिये सृजित कर राशि रुपये 1,40,19,283/-, सरचार्ज रुपये 21,02,892/-, शास्ति अन्तर्गत धारा 65 के तहत रुपये 3,22,44,350/- तथा ब्याज अन्तर्गत धारा 58 के तहत रुपये 1,83,79,279/- कुल मांग राशि रुपये 6,67,45,804/- को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती देने पर अपीलीय अधिकारी ने व्यवहारी की अपील अस्वीकार की, जिसके विरुद्ध व्यवहारी ने कर बोर्ड के समक्ष कर राशि रुपये 47,67,778/-, सरचार्ज रुपये 7,15,167/-, शास्ति रुपये 1,09,65,890/- एवं ब्याज रुपये 62,50,557/- को कर बोर्ड के समक्ष चुनौती दी गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी का वर्ष 1999-2000 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.09.2002 को पारित किया गया। रियायती कर दर पर "डीजल" एवं "लुब्रीकेन्ट्स" विक्रय के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा प्रपत्र एस.टी. 17 में कांट-छांट/ओवर राईटिंग कर क्रेता व्यवहारियों को बिक्रीत माल से अधिक विक्रय राशि को इन घोषणा प्रारूपों में जानबूझकर अंकित किया जाना पाया गया। अतः करापवंचन किये जाने का

क्रमश.....2.

संदेह पाये जाने पर, इस संबंध में प्रतिसत्यापन जांच करायी गयी तथा संबंधित कर निर्धारण अधिकारियों से क्रेता व्यवहारियों के द्वारा क्रीत माल की सत्यापन रिपोर्ट्स प्राप्त की गयी। अपीलार्थी के अभिभाषक ने नोटिस अन्तर्गत धारा 30 का जवाब देने में असमर्थता प्रकट की तथा प्रकरण का निष्पादन पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ही करने का निवेदन किया, प्राप्त जवाब के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी की पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों का अवलोकन कर इनके मददेनजर तथा आलौच्य अवधि में घोषित विक्रय में घोषणा प्रारूप एस.टी.17 रूपये 10,78,40,637/- के विरुद्ध विक्रय के समर्थन में प्रस्तुत घोषणा प्रारूप एस.टी.17 में जानबूझकर अधिक राशि अंकित पाये जाने के कारण, उक्त राशि पर अंतर कर 13 प्रतिशत से रू0 1,40,19,283/-, सरचार्ज रू0 21,02,892/- आरोपित किया गया एवं उक्त कर अदत्त रहना अवधारित कर, अधिनियम की धारा 58 के तहत ब्याज रू0 1,83,79,279/- आरोपित किया है एवं करापवंचन प्रमाणित होने के कारण, अधिनियम की धारा 65 के तहत शास्ति रू0 3,22,44,350/- आरोपित की गई।

3. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी ने विभिन्न तिथियों में अधिनियम की धारा 37 के तहत मूल मांग राशि संशोधित कर, कम करते हुए अपीलार्थी को राहत प्रदान की गई। इस प्रकार दिनांक 30.08.2005 को संशोधन आदेश पारित होने के पश्चात कुल मांग राशि कर रू0 47,67,778/-, सरचार्ज रू0 7,15,167/-, ब्याज रू0 62,50,557/- व शास्ति रू0 1,09,65,890/- पर ही विवाद रह जाना प्रकट किया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31.01.2007 द्वारा अपील को अस्वीकार कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत की गयी है। जिसमें उक्त राशि को विवादित किया है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने प्रथम प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 30 के तहत की गयी। फलस्वरूप पारित आदेश प्रथम दृष्टया ही अविधिक एवं अनुचित है। अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं :-

- (i) मै0 बी.एल.करनाणी, बीकानेर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्य संविदा एवं पट्टाकार, बीकानेर 5 टैक्स अपडेट, 37 (मा.आ.टी.बी.)
- (ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम यूनिवर्सल इण्ड., 3 टैक्स अपडेट, 269 (मा.आ.टी.बी.)
- (iii) मैसर्स इण्डियन एण्ड इस्टर्न न्यूज पेपर सोसाईटी बनाम कमिश्नर. ऑफ इन्कम टैक्स 119, आई.टी.आर., 996 (मा. उच्चतम न्यायालय)
- (iv) मै0 एयर इण्डिया बनाम श्री.वी.के. श्रीवास्तव सी.आई.टी. 213 आई.टी.आर. 739 (बम्बई उच्च न्यायालय)
- (v) मै0 हरियाणा कॉपरेटिव मिल्स लि0 बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 107 एस. टी.सी. 103 (मा. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय)

क्रमश.....3.

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर कायम की गई मांग राशियों को अनुचित एवं अविधिक होने के कारण अपास्त करने का निवेदन किया गया।

6. द्वितीय प्राथमिक विधिक आपत्ति उठाकर विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि इस संबंध में प्रकरण धारा 30 के क्षेत्राधिकार में भी नहीं है, जैसा कि इस संबंध में माननीय न्यायालयों ने इस संबंध सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं। अपने कथन के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों को उद्धरित किया गया :-

- (i) डिप्टी कमीश्नर ऑफ एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लि0, सेल्स टैक्स बनाम मै0 धनलक्ष्मी विलास केश्यू कम्पनी (1969) 24 एस.टी.सी. 492 (मा. उच्चतम न्यायालय)
- (ii) स्टेट ऑफ केरल बनाम के.ई.नयनन (1970) 26 एस.टी.सी. 251
- (iii) स्टेट ऑफ आन्ध्रप्रदेश बनाम रत्नाश्री बॉक्स मैकर्स (1989) 75 एसटीसी 82
- (iv) कमिश्नर ऑफ सैल्स टैक्स बनाम जनता वायर वर्क्स(1991)81एसटीसी 250
- (v) सी.टी.ओ. बनाम त्रिलोक स्पनिंग मिल्स (1993) 12 एस.टी.ए. 128
- (vi) मै0 सरावगी रोलर फलोर मिल्स प्रा0लि0 बनाम सहायक आयुक्त, 9 टैक्स अपडेट 40 (मा.आर.टी.बी.)
- (vii) सहायक आयुक्त एन्टीइवेजन बनाम सरावगी रोलर फलोर मिल्स प्रा0लि0 13 टैक्स अपडेट 134 (मा. राजस्थान उच्च न्यायालय)
- (viii) मै0 राजस्थान ट्रेडर्स बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, 6 वैट रिपोर्टर 36 (मा. राजस्थान बोर्ड)

7. विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कथित जांच अपीलार्थी को प्रकट नहीं की गयी है एवं अपीलार्थी की पीठ के पीछे समस्त कार्यवाही कर दी है, जिसमें प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना होने के कारण आरोपित कर, सरचार्ज, शास्ति व ब्याज की समस्त कार्यवाही प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों की अवहेलना होने के कारण विधिशून्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये :-

- (i) स्टेट ऑफ केरल बनाम के.पी.शादुली युसुफ 39 एस.टी.सी. 478 (मा. उच्चतम न्यायालय)
- (ii) सी.टी.ओ. एन्टीइवेजन बनाम राजस्थान एल्यूमीनियम इण्डो (1986) आर. टी.सी. 64 (मा. राजस्थान उच्च न्यायालय)
- (iii) सी.टी.ओ. एन्टीइवेजन बनाम हरियाणा दाल मिल 91 टैक्स वर्ल्ड 368 (मा. राजस्थान उच्च न्यायालय)
- (iv) स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम श्री राजा लक्ष्मी कलर कम्पनी 99 एस.टी.सी. 154
- (v) मुकुन्द सिंह एण्ड संस बनाम प्रिजाईडिंग ऑफीसर 107 एस.टी.सी. 300
- (vi) एल.अब्दुला कुन्ही बनाम स्टेट ऑफ केरल 122 एस.टी.सी. 461

उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आलोक में कायम की गयी मांग राशियां प्रथम दृष्टया ही अविधिक एवं अनुचित होने के कारण इन्हें अपास्त करने की प्रार्थना की गई।

8. विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि घोषणा प्रारूप एस.टी.17 जो रू0 3,66,75,215/- जो दोषपूर्ण थे, के दोष निवारण हेतु उन्हें वापस प्रदान करने के निर्देश देने की प्रार्थना की गई। इस संबंध में पांच व्यवहारियों

यथा मै० ओरियन्ट सिन्टैक्स, मै० सौरभ सीमेन्ट, मै० नेशनल इंजीनियरिंग इण्डो, मै० उदयपुर पेट्रो सिन्टैक्स लि०, व मै० आई.डी.पैरी (इण्डिया) लि० के द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्रारूप एस.टी 17 दोषपूर्ण है तथा दोषों के निवारण हेतु निर्देश दिया जाना विधिसम्मत है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी की कार्यवाही, निर्धारण अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही के निरन्तरता में है। अपने कथन के समर्थन में माननीय न्यायालयों के निम्नांकित दृष्टांत प्रस्तुत किये गये :-

- (i) दी तीरूकोईलुर ऑयल मिल्स लि० व अन्य बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 20 एस.टी.सी. 388
- (ii) सी.एस.टी. बनाम बद्रीलाल हनुमान प्रसाद इन्दौर 44 एस.टी.सी. 479 (मा. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय)
- (iii) सी.एस.टी. बनाम दारशा मन्वेर्जी 47 एस.टी.सी. 251 (मा. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय)
- (iv) सी.एस.टी. बनाम रत्लाम स्ट्रा बोर्ड, 47 एस.टी.सी. 257 (मा. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय)

तदनुसार आरोपित कर व सरचार्ज को अनुचित एवं अविधिक होने के कारण अपास्त करने का निवेदन किया।

9. अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति के गुणावगुण पर विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि इस संबंध में अपीलार्थी का करापवंचन का कोई आशय नहीं था क्योंकि अपीलार्थी भारत सरकार का एक लोक उपक्रम है। कर निर्धारण अधिकारी ने घोषणा प्रारूपों के दोषों को दूर करने पर रू० 4,40,46,412/- की मांग राशि संशोधित कर, कम कर दी है, जिसमें धारा 65 के तहत आरोपित शास्ति भी शामिल है। अतः इस संबंध में करापवंचन के आशय के अभाव में, शास्ति का आरोपण अनुचित एवं अविधिक होने के कारण आरोपित शास्ति रू० 1,09,65,890/- अपास्त करने की प्रार्थना की गई।

10. अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित ब्याज के गुणावगुण के संबंध में विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के हालिया न्यायिक दृष्टान्त ई.आई.डी. पैरी (इण्डिया) लि०, बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर 141 एस.टी.सी. 12 के आलोक में आरोपित ब्याज अविधिक है। अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को न्याय के विपरीत बतलाते हुए उनको अस्वीकार करने का निवेदन किया एवं प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

11. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन किया एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने का निवेदन किया गया।

12. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। विवादित बिंदुओं पर विद्वान अभिभाषक द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत सिद्धांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। इस संबंध में जहाँ तक विद्वान अभिभाषक द्वारा उठायी गयी प्रथम प्राथमिक विधिक आपत्ति का प्रश्न है, उनके तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 30 के तहत जारी किये गये नोटिस में कहीं भी अंकेक्षण आपत्ति का कोई उल्लेख नहीं है, न ही निर्धारण आदेश में ही इसका कोई उल्लेख है।

अतः अपीलकर्ता के विद्वान अभिभाषक का यह तर्क है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना "संचेतन मस्तिष्क" इस्तेमाल किये, निर्धारण आदेश पारित किया गया है, स्वीकार योग्य नहीं हैं। अतः प्रथम प्राथमिक विधिक आपत्ति के क्रम में उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांत इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है।

13. जहाँ तक द्वितीय विधिक आपत्ति, जिसमें अधिनियम धारा 30 के अंतर्गत पारित आदेश अधिकारिता के अभाव में, विधिशून्य होने का प्रश्न है, इस संबंध में जानबूझकर घोषणा प्रारूप एस.टी.17 में विक्रय के अधिक राशियाँ अंकित की गयी है, जो राज्य सरकार को भ्रामक स्थिति पैदाकर हानि कारित करना प्रकट है, जिसका कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। अतः धारा 30 कर दायित्व के "निर्धारण" होने से बचना/रह जाना प्रमाणित करता है। अतः ऐसी दशा में धारा 30 के तहत विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ग्रहण किया गया क्षेत्राधिकार विधिक एवम् उचित है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा मै0 अशोका ली-लैण्ड लि0, बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु व अन्य निर्णय दिनांक 07.01.2004, 8 टैक्स अपडेट 81 में यह अवधारित किया है कि घोषणा प्रारूपों के मामलों में पुनः कर निर्धारण कार्यवाही केवल सीमित आधारों पर उन्हीं प्रकरणों में जहाँ "फ़ॉड" व "मिसरिप्रेजेन्टेशन" "कोल्यूजन" आदि हों, (8 टैक्स अपडेट 81 पैरा-78) उचित हैं। ऐसे प्रकरणों में पुनः कर निर्धारण हेतु क्षेत्राधिकार ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में मै0 लक्ष्मी सीमेन्ट के प्रकरण में रिट-पिटिशन संख्या 1720/01 निर्णय दिनांक 24.07.2002 में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2000, 1261 का अनुसरण कर, "किसी भी कारण" तथा "किन्ही भी परिस्थितियों" में धारा 30 में क्षेत्राधिकार ग्रहण किया जा सकता है। यही मत जी.ई.एल.वूलन. लि0, (2002) 13 एस.टी.टी. 116 में माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त उद्धरित न्यायिक व्यवस्था में व्यक्त किया है। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय एवम् राजस्थान उच्च न्यायालय की उपर्युक्त न्यायिक व्यवस्थाओं के आलोक में विद्वान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ग्रहण किया गया क्षेत्राधिकार विधिक एवम् उचित है।

14. जहाँ तक तृतीय प्राथमिक विधिक आपत्ति का प्रश्न है, जिसमें अपीलकर्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि अपीलकर्ता के पीठ के पीछे जाँच कर, निर्णय पारित कर, माँग राशियाँ कायम कर दी गयी हैं, भी उचित प्रतीत नहीं होता। जैसा कि विद्वान कर निर्धारण अधिकारी ने इस संबंध में प्रतिसत्यापन जाँच के आधार पर विस्तृत कारण बताओं नोटिस जारी कर, अपीलार्थी के "कृत्य" को स्पष्ट रूप से अंकित कर सुनवायी का मौका प्रदान किया है। तथ्यों को नोटिस में विस्तृत रूप से अंकित कर, घोषणा प्रारूपों में अंकित कर राशि व अपीलार्थी के क्रेता व्यवहारियों द्वारा क्रीत माल की राशियाँ अंकित कर, अंतर को स्पष्ट करते हुए इस संबंध में सुनवायी का युक्ति-युक्त अवसर दिया गया है। सुनवायी के दौरान अपीलार्थी की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजीव मदान ने उपस्थित होकर आदेशों की प्रतियाँ चाही है, जो उन्हें प्रदान की गयी हैं। अतः अब यह तर्क देना कि

उनकी पीठ के पीछे कर निर्धारण आदेश पारित किया गया है, उचित नहीं हैं क्योंकि अपीलार्थी द्वारा घोषणा प्रारूप एस.टी.17 के विरुद्ध घोषित विक्रय के आधार पर ही अधिनियम की धारा 30 के तहत नोटिस जारी किया गया था। इस संबंध में रिकॉर्ड पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है कि अधिनियम की धारा 30 के तहत जारी नोटिस रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध हैं। अतः अब अपीलार्थी के पीठ के पीछे आदेश पारित करने के तर्क व प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की पालना नहीं करने के तर्क आधारहीन हैं। अपीलार्थी को सुनवायी का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करना व जाँच के निष्कर्षों को नोटिस में अंकित प्रकट हैं। प्राकृतिक न्यायिक सिद्धांतों की पालना एवम् अपीलार्थी के हितों के विरुद्ध आदेश पारित करने से पूर्व 47 की पालना करना भी प्रकट है। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत माननीय न्यायालयों के उद्धरित प्रकरणों के तथ्य हस्तगत प्रकरण से मेल नहीं खाने से यहां पर ससम्मान लागू नहीं कर पाते हैं। अतः उठायी गयी तृतीय प्राथमिक विधिक आपत्ति भी अस्वीकार की जाती है।

15. जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक का यह तर्क अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत घोषणा प्रारूप एस.टी.17 दोषपूर्ण थे, भी सही नहीं है तथा तथ्यों के विपरीत एवम् भ्रामक होने के कारण, स्वीकार योग्य नहीं हैं क्योंकि अपीलार्थी द्वारा मूल कर निर्धारण आदेश को पारित करते समय, जो एस.टी.17 घोषित विक्रय के समर्थन में प्रस्तुत किये गये थे, की प्रतिसत्यापन जाँच में अपीलार्थी द्वारा घोषणा प्रारूप एस.टी.17 में अंकित क्रय राशि नहीं पायी गयी है। चूँकि इस संबंध में कोई जवाब भी अपीलार्थी के अधिकृत ने विद्वान कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष नहीं दिया था। विद्वान अभिभाषक ने भी घोषणा प्रारूपों एस.टी.17 में अपीलार्थी द्वारा कांट-छांट/ओवर राइटिंग करने के संबंध में कोई तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इस संबंध में अपीलार्थी को चाहिए था कि वह कथित पांचो पंजीकृत व्यवहारियों के आलोच्य अवधि में घोषणा प्रारूप एस.टी.17 के विरुद्ध किये गये विक्रय की तथ्यात्मक स्थिति के लेखें कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता, जो किसी भी स्तर पर प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अब यह तर्क देना कि घोषणा प्रारूप एस.टी.17 दोषपूर्ण नहीं थे, बल्कि इनमें क्रेता व्यवहारियों द्वारा क्रय की गई राशियों से अन्यथा अधिक राशियाँ जानबूझ कर अंकित की गयी थी ताकि क्रेताओं से अप्राप्त घोषणा प्रारूप एस.टी.17 की क्रय राशियाँ को "कवर" किया जा सके। उक्त "कृत्य" किसी भी रूप में विधिक प्रावधानों के आलोक में अनुज्ञेय नहीं हैं। अपीलार्थी का आशय करापवंचन का होना प्रमाणित है। अतः आरोपित अंतर कर व सरचार्ज क्रमशः रू0 47,67,778/- व सरचार्ज रू0 7,15,167/- विधिक एवम् उचित होने के कारण, कायम रखे जाने के अपीलार्थी के निर्णय की पुष्टि की जाती है।


16. जहाँ तक धारा 65 के तहत शास्ति का प्रश्न है, चूँकि अपीलार्थी व्यवहारी ने घोषणा पत्रों में कांट-छांट कर राशियों में हेराफेरी की है एवं इसका कोई जवाब इस स्तर पर भी प्रस्तुत नहीं किया है। निर्धारण अधिकारी ने क्रेता व्यवहारियों की जांच कर उक्त कांट-छांट की विक्रय राशि बढ़ाने के


तथ्य को प्रमाणित किया है अतः करापवंचन का इरादा प्रमाणित होने के कारण आरोपित शास्ति धारा 65 भी पूर्णतः विधिक एवम् उचित होने के कारण रू0 1,09,65,890/- कायम रखी जाती हैं। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रौढरित निर्णय अलग तथ्यों के आधार पर होने से अपीलार्थी को मदद नहीं करते है।

17. जहाँ तक इस संबंध में आरोपित ब्याज रू0 62,50,557/- आरोपण का प्रश्न है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उद्धरित माननीय शीर्षस्थ न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत को सम्मान व्यक्त करते हुए हमारे विनम्र मत में उद्धरित न्यायिक दृष्टांत ई.आई.डी.पैरी(इण्डिया) लि0 बनाम सहायक आयुक्त 141 एस.टी.सी. 12 इस प्रकरण में लागू किया जाना उचित नहीं हैं, जैसा कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 58 के प्रावधान व तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की धारा 24(3) के प्रावधान समान (PARI-MATETRIA) नहीं हैं। अधिनियम की धारा 58 की शब्दावली में कर "उदग्रहणीय" होने का उल्लेख है, जबकि तमिलनाडु सामान्य विक्रय कर अधिनियम, 1959 की धारा 24(3) के प्रावधानों में इसका उल्लेख नहीं हैं। अतः कर देयता होने पर कर जमा होने में विलम्ब पर ब्याज स्वयंमेव देय होता है। अतः उक्त बिन्दु पर अपीलार्थी की अपील अस्वीकार्य है। इस प्रकार राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 58 के प्रावधान भिन्न होने के कारण माननीय शीर्षस्थ न्यायालय का निर्णय इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं हैं।

18. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के अनुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.01.2007 को यथावत रखते हुए व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया।


22.8.2016
(मदन लाल)
सदस्य


(खेमराज)
अध्यक्ष